

दिनांक:- 16.08.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार से संबंधित मामले की बैठक

उपस्थिति:-

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उर्हाँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. डॉ० रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. PGMS के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर जवाब भेजा जाय।
2. अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी गणों से प्रत्येक माह रिपोर्ट मंगाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान प्रश्न के संबंध में एक सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा जाय।
3. वाट्सअप युप में दिनांक – 10.08.18 का जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लोहरदगा एवं दिनांक – 13.08.18 का जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, साहेबगंज का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है।
4. जन सुनवाई से संबंधित मामले (दुमका, लातेहार, सिमडेगा एवं लोहरदगा) से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त शिकायतों से संबंधित मामले पर आंकड़े सहित प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया जाय।
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में खर्च की राशि के आंकड़े को संकलित किया जाय।
7. गाड़ी से संबंधित विवरणी की मांग की गई, इससे संबंधित पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा कारणों से गाड़ी का नंबर, वाउचर एवं लॉक बुक नहीं दिया जा सकता है।
8. आयोग के लिये एक सूचना का अधिकार से संबंधित अधिकारी घोषित करने की कार्रवाई की जाय।
9. सदस्य सविच अनुपालन करें।

ह0/- (डॉ० रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	ह0/- (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	ह0/- (रामकरण रंजन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	ह0/- (उपेन्द्र नारायण उर्हाँव) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।
			ह0/- (सुधीर प्रसाद) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

दिनांकः— 16.08.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की सातवीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. डॉ रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

अनुपस्थिति:-

1. विभागीय बैठक के कारण सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग बैठक में शामिल नहीं हुए।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. संकलित पुस्तक से संबंधित निम्न निर्णय लिये गये :-
 - (i) श्री रामकरण रंजन, सदस्य, राज्य खाद्य आयोग के सुझाव को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
 - (ii) स्पाईरल बाइन्डिंग के बजाय, बुक फॉर्म में पुस्तक की छपाई करने का निर्णय लिया गया।
 - (iii) पुस्तक में खाद्य आयोग का लोगो (प्रतीक चिन्ह) बाई ओर एवं झारखण्ड सरकार का लोगो (प्रतीक चिन्ह) दाई ओर छपाई करने का निर्णय लिया गया।
 - (iv) पुस्तक की मूल प्रति से मिलान करने हेतु, श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य खाद्य आयोग को निदेश दिया गया।
 - (v) पुस्तक में मुख्य पृष्ठ पर “संकलित — से फरवरी, 18 लिखा जाय।
 - (vi) मुख्य पृष्ठ के बाद पृष्ठ पर संशोधित प्रपत्र (मूल प्रति के साथ संलग्न) को भी मुद्रण किया जाय।
 - (vii) पुस्तक की फाईनल प्रति दिनांक — 22.08.18 तक मंगाने का निर्णय लिया गया।
 - (viii) वित्तीय वर्ष 2017 – 18 का व्यय Annual Report में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
2. राज्य खाद्य निगम के नवनिर्मित भवन में आयोग कार्यालय हेतु स्थान आवंटित करने के लिये सचिव सह प्रबन्ध निदेशक को निम्न पत्र एवं स्मार भेजा गया है :—
 - (i) पत्रांक — 53 दिनांक — 02.02.18
 - (ii) स्मार पत्रांक — 98 दिनांक — 19.02.18
 - (iii) स्मार पत्रांक — 180 दिनांक — 23.03.18

पुनः स्मार पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। स्मार देने में विलम्ब होता है। प्रत्येक पंद्रह दिनों पर स्मार भेजा जाय।
3. आयोग कार्यालय के लिये D.D.O घोषित करने हेतु विभाग को निम्न पत्र एवं स्मार भेजा गया है :—
 - (i) पत्रांक — 136 दिनांक — 19.12.17

- (ii) स्मार पत्रांक – 38 दिनांक – 24.01.18
- (iii) स्मार पत्रांक – 105 दिनांक – 19.02.18
- (iv) स्मार पत्रांक – 181 दिनांक – 23.03.18
4. आयोग के लिये स्वतंत्र सदस्य सचिव के पदस्थापन से संबंधित पत्र विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। स्मार देने में विलम्ब हुआ है। प्रत्येक पंद्रह दिनों पर स्मार भेजा जाय।
5. **पद सृजन से संबंधित :-**
- (i) कुल 38 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था, इसमें से केवल 11 पदों की स्वीकृति मिली है। इस संबंध में मुख्य सचिव को पीत पत्र संख्या – 14 दिनांक – 27.06.18 भेजा गया है।
- (ii) सभी 38 पदों की स्वीकृति हेतु स्मार पत्र भेजा गया था, पुनः स्मार पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
6. **PMU/STA के संबंध में :-**
- (i) आयोग कार्यालय के लिये एक TSA (Technical Support Agency) बनाने का निर्णय लिया गया।
- (ii) इससे संबंधित पत्र, मन्त्रिमण्डल समन्वय विभाग से संपर्क कर मंगाने का निर्णय लिया गया।
7. विषय एवं विभाग से संबंधित संचिका संबंधित सदस्यों के माध्यम से परिचालित हो।
8. **वेबसाइट से संबंधित :-**
- (i) वेबसाइट का कार्य प्रगति में है।
- (ii) इससे संबंधित व्यक्ति को दिनांक – 20.08.18 को आयोग कार्यालय में बुलाने का निर्णय लिया गया।
9. **प्रज्ञा केन्द्र के संबंध में :-**
- (i) प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से न्यायालय का कार्य कराने का निर्णय लिया गया।
- (ii) संबंधित सामग्री की उपलब्धता/अनुपलब्धता GeM पोर्टल में देखने का आदेश दिया गया।
- (iii) LCD टी०वी० 51 इन्व का क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- (iv) वेबसाइट का खर्च के संबंध में प्रज्ञा केन्द्र से इसकी व्यय विवरणी मंगाने का निर्णय लिया गया।
10. फर्नीचर से संबंधित पत्र GOI को भेजने का निर्णय लिया गया।
11. आयोग का व्यय कंट्रोल रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया गया।
12. भोजन का अधिकार (NFSA) से संबंधित हस्त पुस्तिका बनाने का निर्णय लिया गया।
13. मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक करने का निर्णय लिया गया।
14. **प्रमण्डलीय स्तर पर बैठक से संबंधित :-**
- (i) पलामू प्रमण्डल में एक बैठक की गई है।
- (ii) इसी प्रकार सभी प्रमण्डल में बैठक करने का निर्णय लिया गया।
15. आयोग के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि जन सुनवाई/क्षेत्र भ्रमण से लौट कर, इससे संबंधित प्रतिवेदन अध्यक्ष को दें।

16. फोटो ग्राफर/प्रोजेक्टर आदि को Impanel करने संबंधित कोटेशन निकालने का निर्णय लिया गया। यह कार्य दिनांक – 31.08.2018 तक पूरा कर लिया जाय।
17. आयोग में अधिष्ठापित कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फोटो कॉपियर का वार्षिक मैटानेंस से संबंधित कार्य 31 अगस्त, 2018 तक करने का निर्णय लिया गया।
18. कलर फोटो कॉपियर की आपूर्ति Gem के माध्यम से दिनांक – 24.07.18 को कर दी गई है।
19. फैक्स मशीन की आपूर्ति GeM के माध्यम से दिनांक – 07.08.18 को कर दी गई है।
20. छ: अदद लैपटॉप क्रय करने का आदेश GeM के पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है।
21. बैठक में लिये निर्णय के अनुपालन हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, विशेष ध्यान दें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/- (डॉ० रंजना कुमारी)	ह0/- (हलधर महतो)	ह0/- (रामकरण रंजन)	ह0/- (उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ह0/-
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक:–रा०खा०आ० (बैठक) 23 / 2017– 525

राँची, दिनांक:– 29.08.18

प्रतिलिपि:– सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:–रा०खा०आ० (बैठक) 23 / 2017– 525

राँची, दिनांक:– 29.08.18

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:–रा०खा०आ० (बैठक) 23 / 2017– 525

राँची, दिनांक:– 29.08.18

प्रतिलिपि:– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / डॉ० रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।